राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2020/1168

दिनांक : 7/1/2020

कार्यवाही विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल की "सम्पत्ति आवंटन समिति" की बैठक दिनांक 31.12.2019 को प्रातः काल 11:00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुए:–

1.	श्री भास्कर ए.सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोडा	आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
3.	श्री लेखराज जागृत	निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
4.	श्री नत्थू राम	अति0मु0 अभियंता–प्रथम, राज0आवा0मण्डल, जयपुर	सदस्य
5.	श्रीमती संचिता बिश्नोई	सचिव, कार्यवाहक, मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राज0आ0मं0, जयपुर	सदस्य, सचिव

बैठक में विशेष आमन्त्रित निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित हुए :–

1. श्री आर.सी.जैन, उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
2. श्री सीताराम बारी, उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, राज0आवा0मण्डल, जयपुर
3. श्री सर्वजीत सिंह, उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।
4. श्री संतशरण, उप नगर नियोजक, अति. मुख्य नगर नियोजन के प्रतिनिधि, रा0आ0मं0, जयपुर।
5. श्री एन.के.गुप्ता, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के प्रतिनिधि, रा.आ.मं., जयपुर।

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही
1	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 18–10–2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि बाबत।	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 18.10.2019 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	CEM
2	सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 25–09–2019 एवं 18–10–2019 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	विगत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 25.09.2019 एवं 18.10.2019 के निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।	CEM
3	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर के सेक्टर–7 में 1100 व.मी. भूमि वूमैन ऑफ इण्डिया शोइंग हयुमिनीटी (आंचल) को अनाथ आश्रम (एन.जी.ओ.) हेतु रियायती दर पर आवंटन करने के सम्बंध में प्रस्तुत है।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर के सेक्टर–7 में उपलब्ध 1100 वर्ग मीटर भूमि को वूमैन ऑफ इण्डिया शोइंग हयुमिनीटी (आंचल) को अनाथ आश्रम (एन.जी.ओ.) को नियमानुसार मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/ 1037(iii)/1043 दिनांक 03.07.2019 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर व अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	DHC-II, JAIPUR

4	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम जयपुर के द्वारा एस.एस.जी पारीक कॉलेज एवं सम्बद्ध शिक्षण संस्थान, जयपुर को प्रताप नगर योजना के सेक्टर–3 जोन–32 में संस्थानिक भूखण्ड संख्या बी–3 क्षेत्रफल 4992.12 व.मी. संस्था को माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर के विधालय एवं छात्रावास हेतु भूमि आवंटन के सम्बंध में।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रताप नगर आवासीय योजना जयपुर के सेक्टर–3 जोन 32 में उपलब्ध संस्थानिक भूखण्ड संख्या बी–3, क्षेत्रफल 4992.12 वर्ग मीटर भूमि को एस. एस.जी पारीक कॉलेज एवं सम्बद्ध शिक्षण संस्थान को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विधालय एवं छात्रावास हेतु नियमानुसार मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत / 1037(iii) / 1043 दिनांक 03.07.19 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर व अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	DHC-I, JAIPUR
5	उप आवासन आयुक्त वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा सेंट एडमण्ड्स एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर को सेक्टर–3 इंदिरा गांधी नगर, जयपुर में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 3एफ / 4, क्षेत्रफल 4000.25 व.मी. भूमि आवंटन के सम्बंध में।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावित भूमि के सम्बंध में यदि अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से भी कोई आवेदन प्राप्त हुए है तो उन्हें मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड की जावें तत्पश्चात ही निस्तारण किये जाने हेतु प्रकरण को स्थगित (DEFFER) किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।	DHC-III, JAIPUR
6	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री अग्रवाल समाज चौरासी प्रवासी ट्रस्ट, जयपुर को मानसरोवर आवासीय योजना सेक्टर–9 में बालिका छात्रावास, विधवा सहायता, प्रशिक्षण शिविर प्रयोजनार्थ 1665.72 व.मी. 25 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आवंटन के सम्बंध में।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त ट्रस्ट से निदेशालय, बाल अधिकारिता विभाग का नवीनतम नियमों के तहत हॉस्टल संचालन के संबंध में अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डल में प्रस्तुत करना था लकिन ट्रस्ट द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण स्थगित (DEFFER) किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।	DHC-II, JAIPUR
7	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मॉडर्न स्कूल सोसायटी, कोटा (मॉडर्न स्कूल मानसरोवर, जयपुर) को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 3047.95 व.मी. अतिरिक्त भूमि आवंटन के सम्बंध में।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त मानसरोवर योजना के सेक्टर–5 व 7 के सामने शिप्रा पथ पर संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि 3047.95 वर्ग मीटर भूमि को मॉडर्न स्कूल सोसायटी, कोटा (मॉडर्न स्कूल मानसरोवर, जयपुर) को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ नियमानुसार मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3) लागत / 1037(iii) / 1043 दिनांक 03.07.19 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर व अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।यह भूमि पूर्व में आवंटित मूल भूखण्ड का भाग मानी जावेंगी तथा इसे पृथक भूखण्ड नहीं माना जाएगा।	DHC-II, JAIPUR

8	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार आई.जी.एम.सीनियर सैकण्डरी स्कूल को मानसरोवर आवासीय योजना सक्टर–9 में पूर्व में आवंटित भूमि से सटती हुई 367.50 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि शैक्षणिक गतिविधि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु प्रस्तुत है।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त मानसरोवर योजना के सेक्टर–9 में संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि से सटती हुई 367.50 वर्ग मीटर भूमि शैक्षणिक गतिविधियों प्रयोजनार्थ आई.जी. एम.सीनियर सैकण्डरी स्कूल को नियमानुसार मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1037(iii)/1043 दिनांक 03.07.19 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर व अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।	DHC-II, JAIPUR
9	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–उदयपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्लिंथ स्तर के आवास संख्या 4–एवी–5 एवं पूर्व आवास विकास संस्थान कार्यालय (आवासीय बिल्डिग) कार्यालय भवन हेतु सहायक निदेशक इन्टेलिजेंस ब्यूरो (गृह मंत्रालय) भारत सरकार को वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटन के सम्बंध में प्रस्तुत है।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त मण्डल की गोवर्धन विलास आवासीय योजना, उदयपुर में स्थित प्लिंथ स्तर का आवास संख्या 4–एवी–5, उच्च आय वर्ग, क्षेत्र 324.00 व. मी. एवं अवसायित आवास विकास संस्थान उदयपुर का कार्यालय भवन, क्षेत्र 540.78 व.मी. को सहायक निदेशक इन्टेलिजेंस ब्यूरो (गृह मंत्रालय) भारत सरकार, उदयपुर को कार्यालय भवन व स्टॉफ हेतु वर्तमान आरक्षित लागत व अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	DHC UDAIPUR
10	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–तृतीय, जयपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार फ्लैट संख्या 10/847, (भूतल) मालवीय नगर, जयपुर में अतिरिक्त भूपट्टी आवंटन के सम्बंध में श्रीमती प्रभा सक्सैना को पूर्व में सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 27.02.2018 के बिन्दु संख्या–5 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त फ्लैट में 18.56 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूपट्टी आवंटित की गयी जबकि उक्त आवंटन 55.08 वर्ग मीटर का होना था। पुनः प्रस्ताव अनुसार शेष 36.52 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूपट्टी के आवंटन के सम्बंध में।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त मण्डल की मालवीय नगर आवासीय योजना के फ्लैट संख्या 10/847, भूतल के आवंटी श्रीमती प्रभा सक्सैना को फ्लैट के पीछे अतिरिक्त भूपट्टी 55.08 व.मी. भूमि में से दिनांक 27.02.2018 को आयोजित सम्पति आवंटन समिति के निर्णय बिंदु संख्या 5 में लिये गये निर्णय अनुसार 18.56 व.मी. भूमि का आवंटन किया गया था जबकि उक्त आवंटन 55.08 व.मी. होना था एवं सहवन से 18.56 व.मी. भूमि का ही आवटन किया गया। अतः पुनः प्राप्त प्रस्ताव अनुसार शेष भूमि (55.08 – 18.56) 36.52 व.मी. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1019/1241 दिनांक 09.11.2019 निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	DHC-III, JAIPUR
11	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार आवास संख्या 14/91, मानसरोवर जयपुर के समीप उपलब्ध अतिरिक्त भूपट्टी 24.00 व.मी. आवंटन के सम्बंध में प्रस्तुत है।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त मण्डल की मानसरोवर आवासयी योजना के आवास संख्या 14/91 के समीप उपलब्ध अतिरिक्त भूपट्टी (स्ट्रीप ऑफ लेण्ड) मौके पर उपलब्ध 24.00 व.मी. भूमि को वर्तमान कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/	DHC-II, JAIPUR

		1019/1241 दिनांक 09.11.2019 के अनुसार आवंटन किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मौके पर आवंटी द्वारा निर्माण कार्य करवा रखा है इसलिए मण्डल के आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1015बी/301 दिनांक 17.08.2006 के अनुसार निर्माण कार्य होने की स्थिति में प्रचलित भूमि एवं विकास दर की 25 प्रतिशत राशि शास्ती वसूल की जावें।	
12	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार जन जागृति विकास संस्थान, सीकर को शिप्रा पथ, मानसरोवर में मॉडर्न स्कूल के पास खसरा नं. 440 में संस्थानिक भूखण्ड संख्या–बी का क्षेत्रफल 1638.93 व.मी. भूमि को छोटे अस्पताल के प्रयोजनार्थ आवंटन के सम्बंध में।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त जन जागृति विकास संस्थान, सीकर द्वारा भूमि को अस्पताल प्रयोजनार्थ बताया गया जिसमें किस प्रकृति का अस्पताल खोला जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण स्थगित (DEFFER) करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	DHC-II, JAIPUR
13	उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर द्वारा संस्थानिक प्लॉट संख्या 68–ए, क्षेत्रफल 321.50 व.मी. मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर को आर्य समाज, मानसरोवर जयपुर को सामुदायिक भवन के लिए आवंटन हेतु प्रस्तुत है।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना के सेक्टर–6 में हीरापथ पर पोस्ट ऑफिस तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पीछे भूखण्ड संख्या 68ए जिसका क्षेत्रफल 321.50 व.मी. भूमि को सामुदायिक भवन प्रयोजनार्थ मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1037(iii)/1043 दिनांक 03.07.2019 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर व अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।	DHC-II, JAIPUR
14	श्री चन्द्रप्रभू दिगम्बर जैन मन्दिर समिति (न्यास) मालवीय नगर, जयपुर को मण्डल की मालवीय नगर आवासीय योजना के सेक्टर–10 में नगर निगम जयपुर कार्यालय के पास जल मन्दिर (प्याऊ) आयुर्वेदिक एवं होम्योपेथिक औषधालय खोलने हेतु 100 वर्ग गज भूमि आवंटन किये जाने बाबत।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त मण्डल की मालवीय नगर आवासीय योजना के सेक्टर–10 में समिति द्वारा पूर्व में एक प्याऊ का संचालन किया जा रहा हैं जिस भूखण्ड का क्षेत्रफल 108.22 वर्ग मीटर है। श्री चन्द्रप्रभू दिगम्बर जैन मन्दिर समिति (न्यास) को जल मन्दिर (प्याऊ) आयुर्वेदिक एवं होम्योपेथिक औषधालय खोलने हेतु 108.22 वर्ग मीटर भूमि को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1037(iii)/1043 दिनांक 03.07.19 में निर्धारित वर्तमान संस्थानिक दर व अन्य देय राशियां वसूल करते हुए आवंटन की सर्वसम्मति से सहमति प्रकट की गई है साथ ही यह भी निर्णय लिया गया ट्रस्ट द्वारा निर्माण कार्य करवा रखा है। इसलिए मण्डल के आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1015बी/301 दिनांक 17.08.2006 के	DHC-III, JAIPUR

		अनुसार निर्माण कार्य होने की स्थिति में प्रचलित भूमि एवं विकास दर की 25 प्रतिशत राशि शास्ती वसूल की जावें परन्तु यह शास्ति अनाधिकृत निर्माण के नियमन के लिये नही है। समिति का ट्रस्टडीड दिनांक 06-04-2017 को पंजीकृत होने के कारण भूमि आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 2.3 के अनुसार 3 वर्ष से कम अस्थित्व वाली संस्था को भूमि आवंटन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। प्रकरण में शिथिलता के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।	

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

(कश्मी कौर)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक
सदस्य सचिव (पीएसी)

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव / वित्तीय सलाहकार / मुख्य अभियन्ता-(मु0) / प्रथम / द्वितीय / निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति0मु0अभि0-प्रथम / द्वितीय / तृतीय, राज0आवासन मण्डल, जयपुर / जोधपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त.................राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
8. आवासीय अभियंता ...., राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
9. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
10. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), राज0आ0मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक